हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 57

शुक्रवार, 30 अगस्त, 2019/8 भाद्रपद,1941 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 1510 (स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। सदस्य की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्याः 1515 (स्थगित) का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 1544, 1546 तथा 1547 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। सदस्य की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्याः 1545 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 1548 से 1590 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 451 से 481 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

मुख्य मंत्री ने 28 अगस्त, 2019 की रात्रि में दिल्ली से मनाली आ रही वोल्वो बस पर पानीपत के नजदीक हुई फायरिंग से जुड़े तथ्यों तथा इस घटना को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में वक्तव्य दिया।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश औद्यानिकी सेवाएं, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःउद्यान-ख-(7)-8/92-वॉल्यूम-V दिनांक 30.05.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.06.2018 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी ।

(2) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी-

(i) बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 व 2018-19;

(ii) बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक लेखा तथा (Balance Sheet) वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित);

(iii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 41 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर के वार्षिक लेखे (संपरीक्षा रिपोर्ट सहित), वर्ष 2018-19;और

(iv) जे0पी0 सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के खण्ड-18 के प्रावधानों के अन्तर्गत जे0पी0 सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाकनाघाट के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 व 2017-18.

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2019-20) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 65वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 172वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 66वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 193वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 67वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 224वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का 68वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 252वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है;

(v) समिति का 69वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 254वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है;

(vi) समिति का 70वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 123वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित है;

(vii) समिति के 192वें मूल प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 62वें कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि उद्यान विभाग से सम्बन्धित है; और

(viii) समिति के 118वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 164वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है।

4. विधायी कार्य

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 15) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 16) पुरःस्थापित हुआ।

(iii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 17) पुरःस्थापित हुआ।

(iv) **डॉ0 रामलाला मारकण्डा, कृषि मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 14) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 13)" पर विचार किया जाए।

श्री जगत सिंह नेगी, श्री राकेश पठानियां, श्री राकेश सिंघा, श्री राकेश जम्बाल, श्रीमती आशा कुमारी, श्री सुरेश भारद्वाज-संसदीय कार्य मंत्री तथा श्री सुखविन्द्र सिह सुक्खु ने चर्चा की।

माननीय अध्यक्ष ने इस विधेयक पर अपने विचार रखते हुए कहा-

"माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिह सुक्खु जी ने punitive action की बात की है और टांग तोड़ देने की सजा का

उदाहरण दिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में सबसे प्राचीन संस्कृति है और भारत ने कभी किसी को धर्म परिवर्तन के लिए मज़बूर नहीं किया। भारत के ऋषि-मुनि दुनिया में जहां भी गए, उन्होंने दुनिया को ज्ञान दिया परन्तु किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। भारतीय संस्कृति के अंदर किसी के धर्म को बलात् परिवर्तित करना सबसे बड़ा घृणित कार्य है और यह कार्य किसी टांग तोड़ देने से भी ज्यादा घृणित है। हमने सदा कहा है - 'सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यंतु, मा कश्चिद् दुःख भाग भवेत्॥' हमने यह भी कहा- 'एकम् सत् विप्राः बहुधा वदन्ति', अर्थात सत्य एक है पर ज्ञानीजन भिन्न-भिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत के अनुसार जीने का अधिकार है परंतु यदि काई बलात् धर्म परिवर्तन कर रहा है, उसके लिए punitive action करना इस सदन का धर्म बनता है।"

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 13)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 13)"पारित हुआ।

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

श्री सुजान सिंह पठानियां, माननीय सदस्य काफी समय के पश्चात स्वस्थ होकर सदन में उपस्थित हुए हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं।

(01.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.15 बजे अपराह्न तक स्थगित गई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त सदन की बैठक 02.15 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष श्री हंस राज की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

5. नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव

(1) **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री** ने दिनांक 28 अगस्त, 2019 को नियम-130 के अंतर्गत **श्री राकेश पठानियां, सदस्य** द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का उत्तर दिया:-

> **"World Bank Funded Horticulture Development Project पर यह सदन विचार करे"।**

(02.50 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

6. नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) **श्री राम लाल ठाकुर, सदस्य** ने नियम-62 के अंतर्गत दिनांक 20 अगस्त, 2019 को दैनिक जागरण समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक **'निगम के स्टोर से गेहूं लोड करता पकड़ा दुकानदार'** से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया एवं चर्चा की।

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) **श्री राकेश जम्वाल, सदस्य** ने नियम-62 के अंतर्गत **'सुन्दरनगर में बी0एस0एल0 प्रोजैक्ट से निकलने वाली सिल्ट से गांवों के लोगों**

की ज़मीन को हो रहे नुकसान' से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री राकेश जम्वाल ने स्पष्टीकरण मांगा।

मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

(3) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, सदस्य** ने नियम-62 के अंतर्गत **'हाल ही में पुलिस भर्ती में पाए गए फर्जीवाड़े/अनियमितताओं'** से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अर्जुन सिंह ने भी चर्चा में भाग लिया।

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(4) **श्री नरेन्द्र बरागटा, सदस्य** ने नियम-62 के अंतर्गत **'जिला शिमला के ठियोग की पराला सब्जी मण्डी एवं अन्य मण्डियों में सुविधाओं के अभाव'** से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राकेश सिंघा ने भी चर्चा में भाग लिया।

कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(04.40 बजे अपरह्न माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

(05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 06.00 बजे सायंकाल तक बढ़ाई गई।)

(05.50 बजे अपरह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

7. नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव

श्री सुख राम, सदस्य ने नियम-130 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

"प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही 'मुख्य मन्त्री गृहिणी सुविधा' योजना पर यह सदन विचार करे।"

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

8. नियम-61 के अन्तर्गत चर्चा

(1) **श्री जगत सिंह नेगी** ने दिनांक 20 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1189 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की।

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(06.00 बजे सायं सदन की बैठक 06.30 बजे सायंकाल तक बढ़ाई गई।)

(2) **श्रीमती आशा कुमारी** ने दिनांक 26 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1397 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।
श्रीमती आशा कुमारी ने स्पष्टीकरण मांगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

(06.30 बजे सायं सदन की बैठक 07.00 बजे सायंकाल तक बढ़ाई गई।)

(3) **श्री राकेश सिंघा** ने दिनांक 20 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1173 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की।

वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री राकेश सिंघा ने स्पष्टीकरण मांगा।

वन मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

06.57 बजे सायंकाल सदन की बैठक शनिवार, 31 अगस्त, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।